

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (20) आकाशि/अनु/2011/2476

दिनांक 27/12/2010

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपकी संस्था को उसके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित संकाय/विषय हेतु तीन सत्रों (2011-12, 2012-13, 2013-14) के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
1	20	सचिव, शिव सेवा समिति, प्लॉट नं० 9, विवेकानन्द कॉलोनी, सिविल लाईन्स, टोंक	संस्कार कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन, शिवालय रोड़, बस स्टेण्ड रोड़, पीपलू जिला टोंक	महार्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, चित्रकला, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र

1. संस्था इन तीन सत्रों के पश्चात निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर सत्र 2014-15 में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी, अन्यथा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्ध विश्वविद्यालय की होगी।
4. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही नवीन विषयों व स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन के लिए पात्र होगी।
6. संस्था को तीन सत्रों की अवधि की समाप्ति तक मापदण्डानुसार भूमि क्रय कर उस पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
7. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्ध विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यूजीसी. राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा।

(Signature)

मन्त्री

शिव सेवा समिति
टोंक (राज.)